



# HAMIRPUR POLICE



थाना जरिया

दिनांक 01.09.2022

## गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की ₹06,20,000/- (छः लाख बीस हजार रुपये) की संपत्ति कुर्क

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु व अपराधिक कृत्यों से चल/अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जरिया पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ विक्की पुत्र श्री पप्पू उर्फ कालीचरण निवासी कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर की चालानी रिपोर्ट थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उपरोक्त अभियुक्त की संपत्ति स्वराज 735FE ट्रैक्टर कुल कीमत 06,20,000/- (छः लाख बीस हजार रुपये) कुर्क की गई।

उपरोक्त अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ विक्की वर्ष 2017 से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता है, आर यह अवैध शस्त्र रखते हुए चोरी, नकबजनी, बलवा, गाली-गलौज, मारपीट व आगजनी जैसे जघन्य अपराध कारित करता है जिसके अंतर्गत उक्त अपराधी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1)मु0अ0सं0-151/13, धारा-411 आईपीसी व 102/41 सीआरपीसी
- 2)मु0अ0सं0-68/17, धारा-380/411/457 आईपीसी
- 3)मु0अ0सं0-257/19, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट
- 4)मु0अ0सं0-62/19, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट
- 5)मु0अ0सं0-144/19, धारा-323/504/506 आईपीसी व 3(1)दध व 3(2)5ए SC/ST एक्ट
- 6)मु0अ0सं0-199/21, धारा- 147/148/149/323/342/386/504/506 आईपीसी
- 7)मु0अ0सं0-87/20, धारा-188/308/323/504 आईपीसी, 3 महामारी अधि0 व 51/57 आ0प्र0 अधि0
- 8)मु0अ0सं0-88/21, धारा-188/323/504/506 आईपीसी, 3 महामारी अधि0 व 51/57 आ0प्र0 अधि0, व 3(1)दध व 3(2)5ए SC/ST एक्ट
- 9)मु0अ0सं0-205/21, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट
- 10)मु0अ0सं0-228/21, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट
- 11)मु0अ0सं0-198/22, धारा-323/324/427/452/504/506 आईपीसी
- 12)मु0अ0सं0-209/22, धारा-8/22 एनडीपीएस एक्ट